lIre v/;k;% dj&fHkUu ikfIr;k¡

[k.M v% vyksg /kkrq ,oa [kfudeZ m|ksx

7-1 dj iz'kklu

खनिज प्राप्तियां निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती है:

- खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) (ख.ख.वि.वि.) अधिनियम, 1957;
- खनिज रियायत नियम (ख.रि.नि.), 1960;
- छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम (छ.ग.गौ.ख.नि.), 1996;
- छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम, 2009; एवं
- छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005

सचिव, खनिज साधन विभाग अपने विभाग में संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन एवं क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। आयुक्त सह संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म (सं.भौ.ख.) खनिज साधन विभाग का प्रमुख होता है, जिसकी सहायता हेतु एक अपर संचालक खनिज प्रशासन (अ.सं.ख.प्र.), 26 जिला खनिज अधिकारी (जि.ख.अ.), 19 सहायक खनिज अधिकारी (स.ख.अ.) एवं 65 खनिज निरीक्षक (ख.नि.) होते है।

pkVZ 7-1% laxBukRed lajpuk

सचिव, खनिज साधन विभाग

आयुक्त सह संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म (सं.भौ.ख.)

अपर संचालक खनिज प्रशासन (अ.सं.ख.प्र.)

उपसंचालक खनिज प्रशासन (उ.सं.ख.प्र.)

जिला खनिज अधिकारी (जि.ख.अ.)

सहायक खनिज अधिकारी (स.ख.अ.)

खनिज निरीक्षक (ख.नि.)

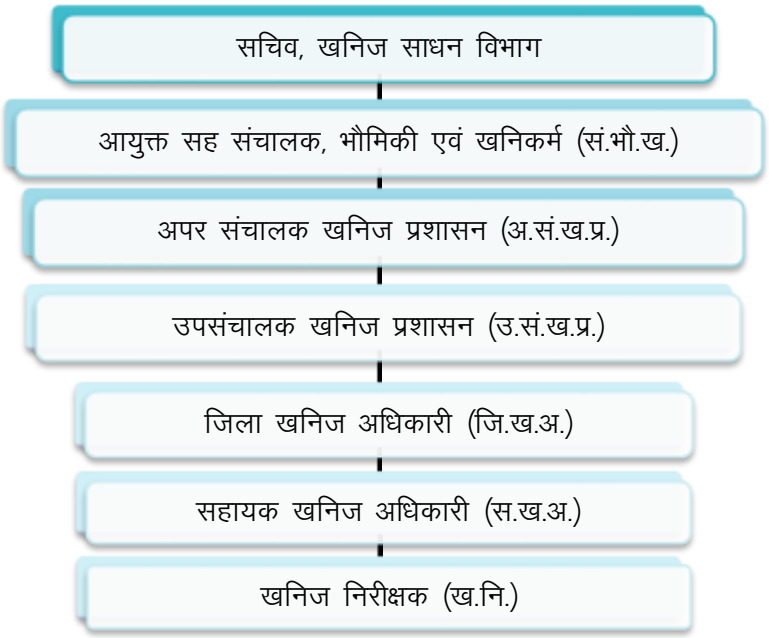

7-2 vkrfjd y![kkijh{kk

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा ईकाई (आं.ले.ई.) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है एवं उसे समस्त नियंत्रकों का नियंत्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को आश्वासीत करता है कि निर्धारित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

एक आंतरिक लेखापरीक्षा ईकाई (आं.ले.ई.) सं.भौ.ख. के नियंत्रण में कार्य करती है। इस इकाई का मुखिया संयुक्त संचालक (वित्त) होता है। 31 मार्च 2016 की स्थिति में कुल स्वीकृत तीन लेखापरीक्षकों के विरूद्ध एक लेखापरीक्षक पदस्थ थे। वर्ष 2015–16 के दौरान 16 इकाईयों को निरीक्षण हेतु चयन किया गया था, जिसमें से समस्त 16 इकाईयों का निरीक्षण किया गया। परंतु आं.ले.ई. द्वारा जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रेक्षणों का अनुपालन के संबंध में कोई भी जानकारी प्रदाय नहीं की गई।

7-3 y![kkijh{kk ifj.kke

वर्ष 2015–16 में हमने खनिज साधन विभाग के कुल 18 खनिज कार्यालयों में से सात[1] कार्यालयों, के अभिलेखों की नमूना जांच की गई, जिसमें राज्यांश एवं ब्याज का अवनिर्धारण, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/प्राप्ति, अनिवार्य भटक एवं ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण एवं अन्य अनियमितताओं के 822 प्रकरणों जिसमें राशि ₹ 33.38 करोड़ सन्नहित थी को विभाग के संज्ञान में लाया गया, जिसका श्रेणीवार विवरण rkfydk 7-1 में वर्णित है:

rkfydk 7-1% y![kkijh{kk ifj.kke

¼₹ djkM+ e½

l- Ø-	J!.kh	i!dj.kk dh l![;k	jkf'k
1.	राज्यांश/ब्याज का अवनिर्धारण	18	26.03
2.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	3	0.08
3.	अनिवार्य भाटक एवं ब्याज का कम आरोपण	13	0.14
4.	अधोसंरचना एवं पर्यावरण उपकर की अप्राप्ति	3	0.31
5.	अन्य अनियमितताऐं	785	6.82
;kx		822	33-38

[1] जि.ख.अ., जांजगीर–चांपा; जि.ख.अ., कवर्धा; उ.सं.ख.प्र., कोरबा; जि.ख.अ., कोरिया; जि.ख.अ., महासमुंद; उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ एवं जि.ख.अ., राजनांदगांव

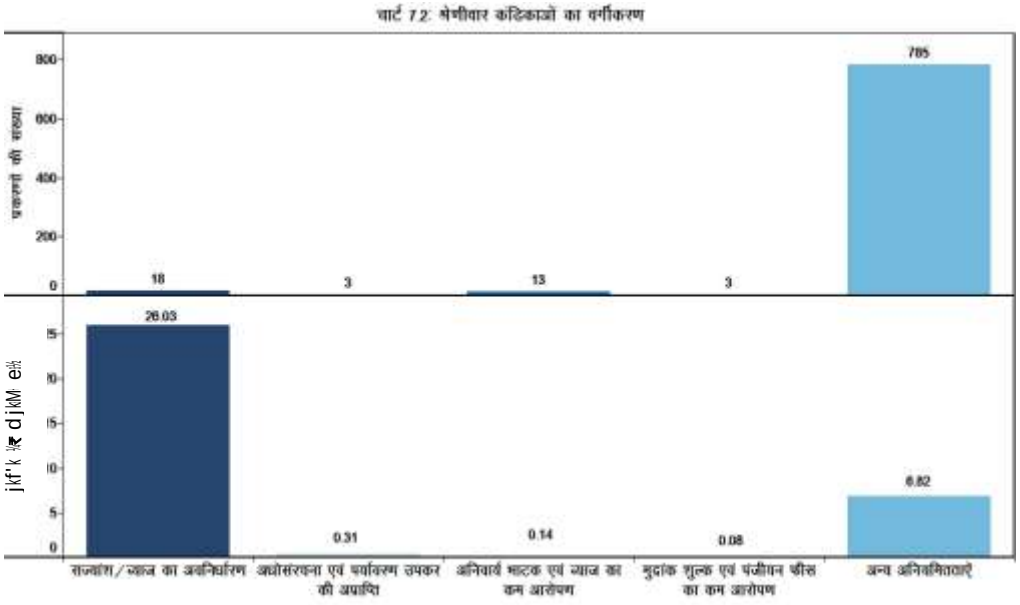

चार्ट 7.2: श्रेणीवार कंडिकाओं का वर्गीकरण

वर्ष 2015–16 के दौरान विभाग द्वारा अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 504 प्रकरणों, जिसमें ₹ 15.42 करोड़ सन्निहित थे को स्वीकार किया है।

कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों जिसमें ₹ 14.93 करोड़ सम्मलित है, का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

7-4 dk;yk dh nj dk xyr vuiz;kx djus ds dkj.k jkT;ka'k dh de izkfIr

jkT;ka'k dh x.kuk **ikoj ;wfVfyVh ls fHkUu {ks= ds nj ls u dj **ikoj ;wfVfyVh** nj ls dh xbZ ftlds QyLo:i ₹ 14-14 djksM+ jkT;ka'k dh de izkfIr gqbZA**

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के धारा 9(1) के अनुसार प्रत्येक खनिपट्टाधारक को अपने लीज क्षेत्र से हटाये/उपभोग किये गये खनिजों पर अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट दर अनुसार राज्यांश का भुगतान किये जाने हेतु दायी होगा। मई 2012 के अधिसूचना अनुसार कोयले पर राज्यांश की दर, कोयला से भिन्न क्षेत्र, भारत सरकार द्वारा जारी ''पावर युटीलिटी'' एवं ''पावर युटीलिटी से भिन्न क्षेत्र'' हेतु घोषित कोयले की दरों, जैसा उचित हो का 14 प्रतिशत होगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार के ऊर्जा सांख्यिकी के 2015–16 के प्रकाशन में नान युटीलिटी को उन स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक के रूप में परिभाषित किया गया है, जो लोक पूर्ति हेतु नहीं है परन्तु जो सामान्य ऊर्जा उत्पादन करने एवं उसका विक्रय उपभोक्ता को करने हेतु समस्त सुविधा रखती है।

कार्यालय उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ के सात खनिपट्टों में से तीन खनिपट्टों के मासिक उत्पादन एवं प्रेषणों की विवरणी के नमूना जाँच (दिसम्बर 2015) में पाया गया कि एक खनिपट्टाधारक मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल), रायगढ़ द्वारा वॉशरी प्लांट में रन–आफ–माईन[2] कोयला प्रदान किया गया एवं 1.17 करोड़ मैट्रीक टन कोयला मिडलिंग का प्रेषण किया (माह मई 2012 एवं मार्च 2015 के मध्य)। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के कोयला आंबटन पत्र (जनवरी 2006); पर्यावरण एवं

---

2 रन–आफ–माईन कोयला से आशय वह कोयला है जो खान से सभी आकार में बिना क्रशिंग और स्क्रीनिंग किये बाहर आता है।

वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण मंजूरी पत्र (फरवरी 2014) एवं खनिपट्टाधारक के वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार यह समझा जा सकता है कि कोयला का उपभोग स्पंज आयरन के उत्पादन एवं कैप्टिव पावर उत्पादन हेतु किया जाना था।

मिडलिंग पर राज्यांश की गणना ''पावर यूटीलिटी से भिन्न क्षेत्रों'' में विनिर्दिष्ट दर अनुसार किया जाना चाहिए था क्योंकि ऊर्जा का उपभोग स्पंज आयरन के उत्पादन हेतु किया गया था। परंतु उ.सं.ख.प्र. द्वारा राज्यांश का निर्धारण ''पावर युटीलिटी'' के दर अनुसार किया गया। अतः राज्यांश की गणना ''पावर युटीलिटी से भिन्न क्षेत्र'' के न्यूनतम दर (जी–17 ग्रेड) करने पर राज्यांश की राशि ₹ 85.46 करोड़ खनिपट्टाधारक से वसूलनीय थी। इसके विरूद्ध उ.सं.ख.प्र. द्वारा राज्यांश की गणना ''पावर यूटीलिटी क्षेत्र'' के दर से करते हुए ₹ 71.33 करोड़ राज्यांश वसूला। अतः राज्यांश की गणना ''पावर यूटीलिटी से भिन्न क्षेत्र'' की दर से न कर ''पावर यूटीलिटी'' के दर से किये जाने के कारण राज्यांश राशि ₹ 14.14 करोड़ की कम प्राप्ति हुई, जिसका विवरण *ifjf'k"V 7-1* में दर्शाया गया है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि खनिपट्टाधारक से ''पावर यूटीलिटी से भिन्न क्षेत्र'' हेतु दर से राज्यांश की मांग कर दी गई है।

7-5 dks;ys ij jkT;ka'k ds xyr nj ds vk/kkj.k ls jkT;ka'k dh de olwyh

dks;ys ij jkT;ka'k dk x.kuk uohu xzsfMax ds vuq:i njksa ij u fd;s tkus ds dkj.k jkT;kaa'k dh jkf'k ₹ 27-29 yk[k ,oa C;kt dh jkf'k ₹ 25-31 yk[k dh de olwyh gqbZA

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के धारा 9(2) अनुसार खनिपट्टाधारक द्वारा स्वयं या उसके अभिकर्त्ता, प्रबंधक, कर्मचारी, ठेकेदार या उप–खनिपट्टेदार द्वारा लीज क्षेत्र से हटाये गये या उपभोग किये गये खनिजों पर राज्यांश का भुगतान अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट दर अनुसार करेगा। खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64 अ अनुसार अगर पट्टाधारक नियत दिनांक तक भुगतान करने में विफल रहता है तो, नियत दिनांक से 60 वें दिन के पश्चात् से भुगतान दिनांक तक 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान हेतु दायी होगा। कोयला नियंत्रक, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2012 के अधिसूचना अनुसार राज्यांश का दर कोयले के सकल कैलोरिफिक मान (जी.सी.व्ही.) के अनुसार स्थायी भाग एवं दर अनुसार भाग का योग होगा। 5200–5500 जी.सी.व्ही. का स्थायी भाग का दर ₹ 90 प्रति मैट्रिक टन था।

कार्यालय उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ के सात खनिपट्टों में से तीन खनिपट्टों के मासिक उत्पादन एवं प्रेषण विवरणी के नमूना जाँच (नवम्बर 2015) में पाया गया कि एक खनिपट्टाधारक मेसर्स मोनेट इस्पात् द्वारा जनवरी 2012 एवं मई 2012 के मध्य 1.36 लाख मैट्रिक टन जी–7 कोयला का प्रेषण किया गया। जी–7 ग्रेड कोयला का राज्यांश दर ₹ 176 प्रति मैट्रिक टन था, जबकि उ.सं.ख.प्र. द्वारा राज्यांश के दर का निर्धारण नीचे तालिका में वर्णित किया गया है:

rkfydk 7-2% jkT;k'k dh x.kuk

;-,p-0gh-	th-lh-0gh-	xzsM	vof/k dk nkjku ikV gM vkj-vk-,e- nj ¼ifr eh-Vu½	vuejf; nj			m-l-[k-i-] jk;x< }kjk vuik;kx nj		
				LFkk;h Hkkx	vLFkk;h Hkkx dk nj	jkT;k'k nj	LFkk;h Hkkx	vLFkk;h Hkkx dk nj	jkT;k'k nj
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½¾ ¼4½ dk 5 ifr'kr	¼7½¾¼5½$¼6½	¼8½	¼9½¾ ¼4½ dk ikp ifr'kr	¼10½¾¼8½ $¼9½
4940–5600	5200–5500	जी–7	₹ 1720	₹ 90	₹ 86	₹ 176	₹ 70	₹ 86	₹ 156

अतः राज्यांश की राशि ₹ 27.29 लाख का कम आरोपण हुआ, जैसा कि *ifjf'k"V 7-2* में वर्णित है। आगे ख.रि.नि., 1960 के प्रावधानुसार खनिपट्टाधारक से ब्याज की राशि ₹ 25.31 लाख भी वसूलनीय थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि खनिपट्टाधारक से राशि की मांग जारी कर दी गई है।

7-6 mR[kfuiVVk/kkjdk ls i;kZoj.k ,oa v/kkslajpuk midj dh jkf'k dh volwyh

mR[kfuiVVk/kkjdk ls i;kZoj.k ,oa v/kkslajpuk midj dh jkf'k ₹ 11-12 yk[k dh volwyhA

छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर नियम, 2005 के अनुसूची I एवं II के अनुसार विकास एवं पर्यावरण उपकर का भुगतान निम्नानसुार किया जायगाः

(अ) ऐसे भूमि जो लौह एवं कोयले खनिपट्टे के वार्षिक प्रेषण पर ₹ पाँच प्रति टन।

(ब) (अ) को छोड़कर खनिपट्टे पर वार्षिक राज्यांश का पांच प्रतिशत।

छ.ग.गौ.ख. नियम, 1996 के नियम 2(पच्चीस) के अनुसार उत्खनिपट्टा का अर्थ खनिपट्टा है जो ख.ख.वि.वि., 1957 के धारा 15 में वर्णित है। अतः गौण खनिज भी इस प्रावधान के अंतर्गत सम्मलित होंगे तथा अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की राशि (ब) में विनिर्दिष्ट दर अनुसार वसूलनीय होगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन (रा.आ.प्र.) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने अपने आदेश (फरवरी 2016) में स्पष्ट किया है कि गौण खनिज भी इस प्रावधान के अंतर्गत शामिल होंगे एवं उत्खनिपट्टों पर विकास एवं पर्यावरण उपकर देय होगा।

कार्यालय उ.सं.ख.प्र., कोरबा के उत्खनिपट्टों के राज्यांश, अनिवार्य भाटक एवं सतह रेंट संबंधी वार्षिक विवरण के नमूना जाँच (मार्च 2016) में हमने पाया कि वर्ष 2014–15 में विभाग द्वारा गौण खनिजों पर ₹ 1.11 करोड़ राज्यांश संग्रह किया। छ.ग.गौ.ख.नि., 1996 के उत्खनिपट्टा के परिभाषा अनुसार प्रत्येक पर वार्षिक राज्यांश का पाँच प्रतिशत की दर से विकास एवं पर्यावरण उपकर वसूलनीय है। परंतु विभाग द्वारा कोई भी राशि वसूल नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप उपकर की राशि ₹ 11.12 लाख की प्राप्ति नहीं हो सकी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टुबर 2016) में कहा कि चूंकि उपकर रा.आ.प्र. विभाग के आदेश से आरोपित की गई थी, अतः उपकर का वसूली भी संबंधित विभाग द्वारा किया जाना चाहिए।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राजस्व संग्रहण विभाग को उपकर वसूल की जानी चाहिए, जैसा कि शिक्षा उपकर के संग्रहण की जिम्मेदारी आयकर विभाग को होती है। अतः उपकर के संग्रहण की जिम्मेदारी खनिज विभाग की ही होगी।

7-7 i;koj.k ,o v/kkljpuk fodkl midj d foyfcr Hkxrku ij iVVnkj dk vufpr ykHk

[kfuiVVk/kkjd }kjk i;koj.k ,o v/kkljpuk fodkl midj dh jkf'k dk iR;d frekgh e Hkxrku u dj ij o"k dk ,de'r Hkxrku fd;k x;k] ifj.kkeLo:i iVVk/kkjd dk ₹ 14-78 yk[k dk vufpr ykHk inku fd;k x;kA

छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर नियम, 2005 के नियम 5 अनुसार पर्यावरण एवं विकास का भुगतान चार सामान किस्तों में प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन में किया जावेगा। आगे नियम 6(1) अनुसार भुगतान न करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा खनिपट्टाधारक को 15 दिनों की युक्तियुक्त अवसर देने की सूचना के बाद उपकर के तीन गुना तक शास्ति आरोपित कर सकेगा।

जि.ख.अ., राजनांदगांव के अभिलेखों की जांच (जनवरी 2016) में हमने पाया कि मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड़ मिनरल्स लिमिटेड, रायपुर द्वारा वर्ष 2014–15 में 1.41 लाख मैट्रीक टन लौह अयस्क का प्रेषण किया गया। पट्टेदार द्वारा चारों तिमाही का एक मुश्त पर्यावरण एवं विकास उपकर की राशि ₹ 14.09 लाख का भुगतान वर्ष के अंत (अप्रैल 2015) में किया गया। अतः 49,256.31 मै.टन[3] लौह अयस्क का प्रेषण अप्रैल 2014 एवं दिसम्बर 2014 के मध्य किया गया, जिसके लिए पट्टेदार द्वारा प्रथम तीन तिमाही के अंतिम दिन में भुगतान नहीं किया गया। उपरोक्त नियम के प्रावधानों अनुसार जि.ख.अ. को पट्टेदार को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए 15 दिन का सूचना दिया जाकर अवधि अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2014 के मध्य का उपकर के विलंब भुगतान पर शास्ति राशि ₹ 14.78 लाख[4] आरोपण किया जाना चाहिए था। परंतु जि.ख.अ. द्वारा तथ्य को अनदेखा कर बिना शास्ति आरोपित कर समस्त तिमाहियों का एकमुश्त उपकर भुगतान (अप्रैल 2015) को मान्य किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि नियमानुसार उपकर की परिगणना अनुसूची II में विनिर्दिष्ट दर पर वार्षिक प्रेषण पर किया जाना है, जबकि नियम 5 अनुसार उपकर का संदाय प्रति तिमाही किया जाना है। अतः वार्षिक प्रेषण का अग्रिम में निश्चित कर उस पर उपकर संदाय किया जाना संभव नहीं है। आगे नियम में विनिर्दिष्ट है कि शास्ति की राशि का संदाय युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए 15 दिन की सूचना दी जानी चाहिए।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों कि उ.सं.ख.प्र. द्वारा प्रेषण के आधार पर उपकर वसूलने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी थी। आगे, समय अनुसार उपकर की वसूली हेतु मांग जारी कर कार्यवाही विभाग को की जानी थी। दोनों नियमों में असामंजस्य हेतु उच्च प्राधिकारी के ध्यान में लाई जा सकती है और दोनों नियमों में सुधार किया जा सकता है ताकि नियम विरोधाभासी न हो।

---

3 1,40,924.32 मै.टन – 91,668.01 मै.टन (जनवरी 2015 से मार्च 2015) जिसके लिए समय पर उपकर का भुगतान किया गया

4 विकास उपकर– 49,256.31 मै.टन * ₹ 5 * तीन गुना एवं पर्यावरण उपकर– 49,256.31 मै. टन * ₹ 5 * तीन गुना = ₹ 14,71,690

[k.M c% okfudh ,oa oU; thou ¼ikfIr;k½

7-8 dj i'kklu

वन विभाग द्वारा प्राप्तियों का प्रशासन निम्न प्रावधानों के अनुरूप होता है:

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उनके अंतर्गत निर्मित नियम;
- छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1960 एवं उनके अंतर्गत निर्मित नियम;
- वन वित्तीय नियम;
- राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहिता 2004; एवं
- समय समय पर जारी विभागीय निर्देशों, कार्यपालिक आदेश, परिपत्र इत्यादि

वन विभाग प्रमुख सचिव (वन) के अंतर्गत कार्य करती है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) वन विभाग का मुखिया होता है, जिसकी सहायता हेतु आठ अपर प्र.मु.व.सं. (अ.प्र.मु.व.सं) एवं 16 मुख्य वन संरक्षक (मु.व.सं.) मुख्यालय मे होते है। राज्य में वन क्षेत्र छह वृत्तों में विभाजित किये गये है, जिनके प्रमुख वन संरक्षक होते है। ये वृत्त वनमंडलों में विभाजित है, जिनके प्रशासक वनमंडलाधिकारी (व.म.अ.) होते है, जिनकी सहायता हेतु उपवनमंडलाधिकारी (उ.व.म.अ.) एवं परिक्षेत्र अधिकारी (प.अ.) होते है।

pkVZ 7-3% laxBukRed lajpuk

7-9 vkrfjd y[kkijh{kk

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि संगठन को यह आश्वस्त करता है कि निर्धारित प्रणालीयां उचित रूप से कार्य कर रही है।

एक आंतरिक लेखापरीक्षा ईकाई (आं.ले.ई.) लेखा अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करती है, जिसकी सहायता हेतु पाँच लेखापरीक्षक होते है। 31 मार्च 2016 की स्थिति में कुल पाँच स्वीकृत लेखापरीक्षक पदों के विरूद्ध तीन लेखापरीक्षक कार्यरत थे। वर्ष 2015–16 में इकाई द्वारा 17 कार्यालयों का लेखापरीक्षा हेतु योजना बनाई गई, जिसमें से सभी 17 कार्यालयों का लेखापरीक्षा संपन्न करते हुए राशि ₹ 4.95 लाख के 47 प्रेक्षणों उठाये गये। सभी लेखापरीक्षा किये गये कार्यालयों के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी कर दिये गये है, परंतु लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर एक भी पालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए है। यह अधिनस्थ कार्यालयों का आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करता है।

7-10 y[kkijh{kk ifj.kke

वर्ष 2015–16 के दौरान हमने कुल 60 कार्यालयों में से छः[5] कार्यालयों के लेखाकनों की नमूना जांच की जिसमें वनोपज के अवरोध मूल्य से कम दर पर विक्रय करने पर राजस्व की कम प्राप्ति, वनोपज के ह्रास/कमी से राजस्व की कम प्राप्ति/अप्राप्ति, काष्ठ का कम उत्पादन इत्यादि के 163 प्रकरणों, जिसमें राशि ₹ 77.80 लाख सन्निहित थे, को इंगित किया है, जो कि rkfydk 7-3 में वर्णित निम्न श्रेणियों में वर्णित किया गया है:

rkfydk 7-3% y[kkijh{kk ifj.kke

¼₹ djkM+ e½

l- Ø-	J.kh	idj.kk dh l[;k	jkf'k
1.	वनोपज के अवरोध मूल्य से कम दर पर विक्रय करने पर राजस्व की कम प्राप्ति	136	0.61
2.	वनोपज के ह्रास/कमी से राजस्व की कम प्राप्ति/अप्राप्ति	6	0.03
3.	काष्ठ का कम उत्पादन से राजस्व की हानी	16	0.09
4.	अन्य अनियमितताऐं	5	0.05
	;kx	163	0-78

5 व.म.अ., बस्तर; व.म.अ., धमतरी;व.म.अ., कटघोरा; व.म.अ., कोण्डागांव (दक्षिण); व.म.अ., मरवाही एवं व.म.अ., राजनांदगांव

चार्ट 7.4: श्रेणीवार कंडिकाओं का वर्गीकरण

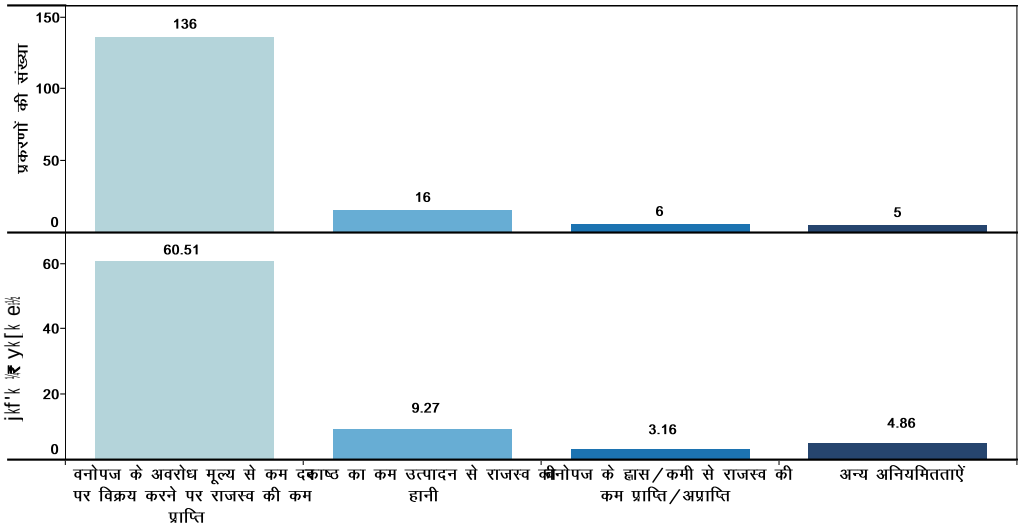

वर्ष के दौरान, विभाग ने 24 प्रकरणों, जिसमें ₹ 16.15 लाख सन्निहित है को स्वीकार किया है।

एक प्रकरण जिसमें ₹ 33.74 लाख की राशि सन्नहित है, का आगामी कंडिका में वर्णन किया गया है।

7-11 ouksit dk foØ; fuLrkj nj ls Hkh de nj esa fd;k tkuk

uhykeh esa tykÅ pV~Vksa ,oa cfYy;ksa dk foØ; fuLrkj nj ls Hkh de nj ij fd;k x;kA ifj.kkeLo:i ₹ 33-74 yk[k dh jktLo gkfu gqbZA

प्रत्येक वनमंडल द्वारा प्रति कैलेण्डर वर्ष[6] में जलाऊ चट्टा एवं बल्लियों का बाजार मूल्य निस्तार पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। निस्तार दर वनोपज (बांस/बल्ली/जलाऊ चट्टा) के न्यूनतम एंव रियायती दर होते है। वन क्षेत्रों के पांच किलोमीटर की परिधि में निवासरत ग्रामीण ही जलाऊ चट्टों का क्रय निस्तार/उपभोक्ता डिपो से कर सकते है। निस्तार दर, वनोपज के वाणिज्यिक मूल्य[7] में से विदोहन, संग्रहण, काष्ठागार आदि में हुए व्यय को घटाकर निकाला जाता है। जबकि अवरोध मूल्य[8] वनोपज का वह न्यूनतम दर है जिस पर नीलामी में बोली शुरूआत होती है। अवरोध मूल्य, मुख्य वन संरक्षक (मु.व.सं.) द्वारा पिछले छह माहों के नीलामी द्वारा प्राप्त औसत विक्रय मूल्य के साथ परिवहन आदि पर व्यय उवं लाभ सीमा रखकर तय किया जाता है। अतः अवरोध मूल्य किसी भी परिस्थिति में निस्तार मूल्य, जिसमें कि लाभ सीमा सम्मलित नहीं होती है से कम नहीं होता है।

7-11-1 uhykeksa esa tykÅ pV~Vksa dk foØ; fuLrkj ewY; ls Hkh de nj ij fd;k tkukA

दो वनमण्डलाधिकारियों के नीलामों के परिणाम पत्रकों[9] के जाँच में हमने देखा की नीलामों में जलाऊ चट्टों का विक्रय निस्तार काष्ठागार में विक्रय दर से भी कम दरों में किया गया। यह जलाऊ चट्टे नीलाम में प्रथम बार रखे जाने के छः माह के भीतर ही

---

6 व.म.अ., धमतरी के कैलेण्डर वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 के जलाऊ चट्टा के निस्तार दर क्रमशः ₹ 1,999, ₹ 2000 एंव ₹ 2150 एवं व.म.अ., कटघोरा के कैलेण्डर वर्ष 2014 एवं 2015 हेतु निस्तार दर क्रमशः ₹ 1,991 एवं ₹ 2,071 प्रति जलाऊ चट्टा थे।

7 वणिज्यिक मूल्य वनोपज का वह मूल्य होता है जो बाजार में विक्रय से प्राप्त होता है।

8 अवरोध मूल्य प्रत्येक वनोपज का आरक्षित मूल्य है, जो कि मुख्य वन संरक्षक (मु.व.सं.) द्वारा तय किया जाता है एवं प्रथम नीलामी में उससे नीचे दर में विक्रय नहीं किया जा सकता है।

9 वनमण्डल के परिणाम पत्रक में नीलामियों में लाट वार प्राप्त विक्रय मूल्य का गोशवारा होता है।

एक से पांच बार नीलाम में रखे गये तथा निस्तार दरों से कम दरों पर विक्रय किए गये जिसका विवरण rkfydk 7-4 में दिया गया है:

rkfydk 7-4% uhykeh;k e tykÅ pVVk dk foØ; ij jktLo dh gkfu dk fooj.k

¼₹ yk[k e½

l- Ø-	oue.My dk uke@y[kk ijh{kk dk ekg	uhykeh dh vof/k	tykÅ pVVk ¼uxk e½	uhykeh dh l[;k	fuLrkj nj vuqlkj tykÅ pVVk dk eY;	uhykfe;k e ikIr foØ; eY;	jktLo dh gkfu
1.	धमतरी (जनवरी 2016)	मई 2013 से सितम्बर 2013	6,358	9	130.97	117.84	13.13
2.	कटघोरा (मार्च 2016)	जून 2014 से सितम्बर 2015	4,217.50	6	86.86	73.64	13.22
	;kx		10]575-50	15	217-83	191-48	26-35

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 15 नीलामों में 10,575.5 नग जलाऊ चट्टों का विक्रय ₹ 1.91 करोड़ में किया गया। निस्तार दर के आधार पर इन जलाऊ चट्टों का मूल्य ₹ 2.18 करोड़ था। चूंकि इन जलाऊ चट्टों का प्रथम एवं उसके बाद के नीलामी में बोली नहीं लगने पर, विभाग को इसका निवर्तन निस्तार/उपभोक्ता काष्ठागार से किया जाना चाहिए था। अतः प्रथम नीलामी में रखे जाने के बाद छह माह में इन जलाऊ चट्टों का निवर्तन निस्तार/उपभोक्ता डिपों के माध्यम से न कर सिधे विक्रय किये जाने से राजस्व ₹ 26.35 लाख की हानि हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर व.म.अ., धमतरी ने अपने उत्तर (जनवरी 2016) में कहा कि मार्च 2005 के विभागीय निर्देशों के अनुसार जलाऊ चट्टों का विक्रय अवरोध मूल्य से कम मूल्य पर किया गया एवं राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है। व.म.अ., कटघोरा ने उत्तर (मार्च 2016) में कहा कि जलाऊ चट्टों को नीलामी में वनसंरक्षक के अनुमोदन पश्चात् रख गया था। प्रथम एवं द्वितीय नीलामी में जलाऊ चट्टों का विक्रय मूल्य आशा अनुरूप नहीं रहा। तदनुसार जलाऊ चट्टों का विक्रय नीलामी के माध्यम से विभागीय निर्देशों (मार्च 2005) के अनुसार किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नीलामी में विक्रय का उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक दर प्राप्त करना एवं अधिकतम राजस्व प्राप्ति करना होता है एवं यह भी देखा गया है कि प्रथम नीलामी में सीधे विक्रय का मूल्य भी कम था। अगर नीलामों में प्राप्त मूल्य कम थे, तो चट्टों का विक्रय नीलामी द्वारा न कर उपभोक्ता काष्ठागारों के माध्यम से किया जाना चाहिए था। जबकि नीलामियों में प्राप्त मूल्य कम थे तब भी चट्टों का निवर्तन सीधे विक्रय न किये जाने से शासन को ₹ 26.35 लाख की राजस्व हानि हुई।

प्रकरण शासन के अभिमत हेतु सूचित (मई 2016) किया गया एवं उनका उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

7-11-2 vojk/k eY; dk fu/kkj.k ,o cYyh;k dk foØ; fuLrkj nj l Hkh de nj ij fd;k tkuk

व.म.अ., धमतरी कार्यालय के नीलामी के परिणाम पत्रक की जाँच (जनवरी 2016) में हमने देखा की मई 2013 एवं जनवरी 2015 के मध्य नगरी काष्ठागार ने 117 प्रचयों

जिसमें 11,702 नग बल्लियों के विक्रय हेतु सात नीलामों[10] में रखा गया। इन प्रचयों का निस्तार मूल्य ₹ 24.40 लाख एवं अवरोध मूल्य ₹ 15.23 लाख थी, जो कि निस्तार मूल्य से ₹ 9.17 लाख कम था। इन बल्लियों से ₹ 17.01 लाख विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। अतः बल्लियों के अवरोध मूल्य, उनके निस्तार मूल्य से कम तय किये जाने से, राजस्व राशि ₹ 7.39 लाख की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, व.म.अ. ने उत्तर (जनवरी 2016) में कहा कि अवरोध मूल्य का निर्धारण पूर्व के छह माहों के औसत विक्रय मूल्यों के आधार पर किया जाता है, जबकि निस्तार दरों का निर्धारण मुख्य वन संरक्षक द्वारा कैलेण्डर वर्ष में एक बार किया जाता है। यद्यपि दोनो दरों में अंतर है, लेकिन इससे शासन को कोई हानि नहीं हुई है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अवरोध मूल्य का निर्धारण एवं विक्रय निस्तार दरों, जो कि सबसे न्यूनतम दर है से भी कम दरों में किया गया। यह विभाग के अवरोध मूल्य को निस्तार मूल्य तक तय करने में विफलता को परिलक्षित करता है। नीलामी का उद्देश्य विक्रय द्वारा अधिकतम राजस्व प्राप्त करना होता है एवं नीलामों में विक्रय मूल्य वनोपज के निस्तार मूल्य से कम नहीं होना चाहिए।

प्रकरण शासन के अभिमत हेतु सूचित (मई 2016) की गई थी एवं उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

jk;iqj
fnukad 2 Qjojh 2017

¼fct; dqekj eksgUrh½
egkys[kkdkj ¼ys[kkijh{kk½
NÙkhlx<+

izfrgLrk{kfjr

ubZ fnYyh
fnukad 7 Qjojh 2017

¼'kf'k dkUr 'kekZ½
Hkkjr ds fu;a=d&egkys[kkijh{kd

[10] 15–05–2013; 16–08–2013; 12–06–2014; 10–07–2014; 10–09–2014; 13–11–2014 एवं 12–01–2015